राजकीय महाविद्यालय, जयपुर

(राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से सम्बद्ध)

प्रथम तल– राजा रामदेव पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांधी सर्किल,

जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर – 302015, राजस्थान

E-mail : govtcollegejaipur@gmail.com

(दूरभाष न. 0141–2709093)

विवरणिका

सत्र 2023–24

डॉ. अल्पना व्यास

(संरक्षक एवं प्राचार्य)

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ
1.	महाविद्यालय :एक परिचय	3
2.	आह्वान	4
3.	पाठ्यक्रम एवं कक्षाओं में उपलब्ध सीटों की संख्या	5—9
4.	शुल्क विवरण	10—12
5.	सहशैक्षणिक गतिविधियाँ	13—14
6.	शिष्टाचार एवं उपस्थिति नियम	15
7.	पुस्तकालय नियम	16
8.	संकाय सदस्य एवं कर्मचारियों की सूची	17—18
9.	ऑनलाईन प्रवेश समिति	19
10.	रैगिंग से सावधान	20
•	प्रवेश नीति 2023—24 महाविद्यालय के वेबपोर्टल पर उपलब्ध है	

राजकीय महाविद्यालय जयपुरः एक परिचय

यह महाविद्यालय राजस्थान राज्य की राजधानी, गुलाबी नगर नाम से प्रसिद्ध, जयपुर जिला मुख्यालय की हृदय स्थली में स्थित जयपुर नगर का प्रमुख राजकीय महाविद्यालय है। यहाँ सह शिक्षा उपलब्ध है। वर्तमान में यह महाविद्यालय अस्थायी रूप से प्रथम तल– राजा रामदेव पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांधी सर्किल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर में संचालित है।

सन् 2013 में स्थापित इस महाविद्यालय में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में स्नातक एवं भूगोल में स्नातकोतर विषय में शिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध है। यहां वर्तमान में 1528 विद्यार्थी अध्ययनरत है। कला संकाय में इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य एवं संस्कृत, विज्ञान संकाय के गणित समूह में (भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र व गणित) एवं जीव विज्ञान समूह में (प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र व रसायन शास्त्र) तथा वाणिज्य संकाय में ('लेखा एवं सांख्यिकी', 'व्यावसायिक प्रशासन' तथा 'आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंधन') विषयों में स्नातक एवं भूगोल विषय में स्नातकोत्तर अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है।

महाविद्यालय में नवीनतम पुस्तकों से युक्त सुसज्जित पुस्तकालय है। राष्ट्रीय सेवा योजना, युवा विकास केन्द्र, महिला अध्ययन प्रकोष्ठ, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक आदि सह शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन इस महाविद्यालय की विशिष्टताऐं हैं।

नोट :– बी.ए / बी.एससी / बी.कॉम पार्ट–प्रथम, तथा एम.ए. भूगोल पूर्वार्द्ध सत्र 2023–24 के लिए ऑनलाईन प्रवेश हेतु वेब साईट **dce.rajasthan.gov.in/ hte.rajasthan.gov.in** पर आवेदन करे।

प्राचार्य संदेश

प्रिय विद्यार्थियों,

जयपुर में, 1884 में महाराजा कॉलेज, 1865 में संस्कृत महाविद्यालय, 1947 में राजपुताना विश्वविद्यालय एवं 1958 में उच्च शिक्षा विभाग के नियन्त्रण में 40 महाविद्यालय कालान्तर में उच्च शिक्षा की प्रगति का प्रतीक हैं। प्रगति की इस श्रृंखला में उच्च शिक्षा के बढ़ते कदमों ने 2013 में राजकीय महाविद्यालय, जयपुर की स्थापना की।

नवीन शैक्षणिक सत्र् 2023–24 में महाविद्यालय आपका हार्दिक स्वागत करता है। महाविद्यालय परिवार, अध्यापन के साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिये निरन्तर प्रयासरत है जिससे विद्यार्थी बौद्धिक, आत्मिक एवं नैतिक विकास के साथ–साथ कर्मठ नागरिक बनें तथा समाज एवं राष्ट्र सेवा हेतु कृत संकल्प हों।

इस सत्र 2023–24 से यह महाविद्यालय भूगोल विषय में स्नातकोत्तर भी प्रारम्भ करने जा रहा है। इसके साथ ही स्नातक स्तर पर भी नये विषयों को जोड़ा गया है।

हमारा सतत् प्रयास है कि महाविद्यालय के समस्त संसाधनों का लाभ विद्यार्थी बहुआयामी विकास के लिए उपयोग कर, स्वयं की प्रतिभा एवं कार्य–कौशल को विकसित करें।

आपके उज्जवल भविष्य के लिये शुभ कामनाऐं ....

प्राचार्य,
(डॉ. अल्पना व्यास)
राजकीय महाविद्यालय, जयपुर

उपलब्ध पाठ्यक्रम
सत्र 2023–24

राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से सम्बद्ध इस महाविद्यालय में कला, विज्ञान, वाणिज्य त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम एवं स्नात्तकोत्तर भूगोल विषय चयन की सुविधा निम्नानुसार उपलब्ध है–

कला संकाय

बी.ए. भाग प्रथम

अनिवार्य विषय –

- प्रारम्भिक कम्प्यूटर
- सामान्य हिन्दी
- सामान्य अंग्रेजी
- पर्यावरण अध्ययन
- आनन्दम्

ऐच्छिक विषय समूह

क्रम संख्या 01 से 15 में अंकित विषय समूहों को वरीयता क्रम में भरें।

Sr. No.	Subject 1	Subject 2	Subject 3
1	HINDI LITERATURE	ECONOMICS	POLITICAL SCIENCE
2	HINDI LITERATURE	HISTORY	POLITICAL SCIENCE
3	HINDI LITERATURE	GEOGRAPHY	SOCIOLOGY
4	ENGLISH LITERATURE	HISTORY	POLITICAL SCIENCE
5	ENGLISH LITERATURE	POLITICAL SCIENCE	GEOGRAPHY
6	HISTORY	POLITICAL SCIENCE	GEOGRAPHY
7	HISTORY	POLITICAL SCIENCE	SOCIOLOGY
8	ENGLISH LITERATURE	GEOGRAPHY	SOCIOLOGY
9	HISTORY	GEOGRAPHY	ECONOMICS
10	ENGLISH LITERATURE	SOCIOLOGY	ECONOMICS
11	HINDI LITERATURE	POLITICAL SCIENCE	GEOGRAPHY
12	HINDI LITERATURE	GEOGRAPHY	ECONOMICS
13	SANSKRIT	HISTORY	GEOGRAPHY
14	SANSKRIT	POLITICAL SCIENCE	SOCIOLOGY
15	SANSKRIT	SOCIOLOGY	ECONOMICS

Course Name: BA Pt I	----> Subject wise Seats		
Sr. No.	**Subject**	**No. of Seats**	
1	Hindi Litt.	60	
2	English Litt.	40	
3	Pol. Science	80	
4	History	80	
5	Sociology	60	
6	Economics	40	
7	Sanskrit	40	
8	Geography	80	
9	Gen. Hindi	160	
10	Gen. English	160	
11	Environmental Studies	160	
11	Elementary Computer	160	
12	Anandam	160	

नोट – छात्र द्वारा चुना गया ऐच्छिक विषय आवंटित करने हेतु महाविद्यालय बाध्य नहीं होगा क्योंकि प्रथम वर्ष कला वर्ग के विद्यार्थियों को विषयों आवंटन का महाविद्यालय द्वारा मैरिट के अनुसार सीट उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा। आवंटन के पश्चात विषय परिवर्तन संभव नहीं होगा।

बी.ए. भाग द्वितीय /तृतीय –

बी.ए. भाग प्रथम के ऐच्छिक विषय ही भाग द्वितीय/तृतीय में यथावत् रहेंगें।

विज्ञान संकाय

बी.एससी. भाग प्रथम

अनिवार्य विषय –

- प्रारम्भिक कम्प्यूटर
- सामान्य हिन्दी
- सामान्य अंग्रेजी
- पर्यावरण अध्ययन
- आनन्दम्

ऐच्छिक विषय समूह

- प्राणिशास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पतिशास्त्र {जीव विज्ञान}

अथवा

- गणित, रसायन शास्त्र, भौतिकशास्त्र {गणित समूह}

Sr. No.	Subject	No. of Seats
1	Physics	70
2	Mathematics	70
3	Chemistry	140
4	Botany	70
5	Zoology	70
6	Gen. Hindi	140
7	Gen. English	140
8	Environmental Studies	140
9	Elementary Computer	140
10	Anandam	140

बी.एससी. भाग द्वितीय/तृतीय –

बी.एससी. भाग प्रथम के ऐच्छिक विषय ही भाग द्वितीय/तृतीय में चयन करने होंगें।

वाणिज्य संकाय

बी.कॉम. भाग प्रथम

अनिवार्य विषय –

- प्रारम्भिक कम्प्यूटर
- सामान्य हिन्दी
- सामान्य अंग्रेजी
- पर्यावरण अध्ययन
- आनन्दम्

ऐच्छिक विषय समूह

- ए.बी.एस.टी.,
- व्यावसायिक प्रशासन,
- ई.ए.एफ.एम.

Sr. No.	Subject	No. of Seats
1	ABST	80
2	EAFM	80
3	Bus. Admn.	80
4	Gen. Hindi	80
5	Gen. English	80
6	Environmental Studies	80
7	Elementary Computer	80
8	Anandam	80

बी.कॉम. भाग द्वितीय/तृतीय –

बी.कॉम. भाग प्रथम के ऐच्छिक विषय ही भाग द्वितीय/तृतीय में चयन करने होंगें।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (भूगोल)

सत्र 2023–24 से महाविद्यालय में स्नात्तकोत्तर पूर्वार्द्ध (भूगोल) भी आरम्भ किया जा रहा है।

उपलब्ध सीटों की संख्या आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर के नियमानुसार होंगी।

राजकीय महाविद्यालय जयपुर

प्रवेश शुल्क विवरण

सत्र 2023–24

(अ) : बी.ए. / बी.एस.सी. गणित / बी.एस.सी. जीव विज्ञान / बी.कॉम प्रथम वर्ष:

S.No.	Fee Type	General Boys(Non Income Tax Payer)	General Boy (Income Tax Payer)	SC/ST/ OBC/SBC Boys	All Girls	PH Boys&Girls
1	Admission Fees	2	2	2	0	0
	Tuition Fee (Income Tax Payer)	42	144	0	0	0
	Lab Fees (only For Practical Subjects)	100	100	100	0	0
2	Computer Education	450	450	450	450	0
3	**Mahavidyalay Vikas Samiti Fee (Total)**	**700**	**700**	**700**	**700**	**0**
4	Caution Money	100	100	100	100	0
5	**Library Fee**	**150**	**150**	**150**	**150**	**0**
6	**Student Activities**	**135**	**135**	**135**	**135**	**0**
7	**General Purpose Fee**	**345**	**345**	**345**	**345**	**0**
8	**Games Fee**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9	**Student Union**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
11	**Women Cell**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**
12	Misc.	60	60	60	60	0
13	Insurance Fee	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	TOTAL					
	B.Com	**2184**	**2286**	**2142**	**2240**	**0**
	B.Sc	**2284**	**2386**	**2242**	**2240**	**0**
	B.A (Geography)	**2284**	**2386**	**2242**	**2240**	**0**
	B.A (Non Geography)	**2184**	**2286**	**2142**	**2240**	**0**

(ब) : बी.ए./बी.एस.सी. गणित/बी.एस.सी. जीव विज्ञान/बी.कॉम द्वितीय/तृतीय वर्ष:

S.No.	Fee Type	General Boys(Non Income Tax Payer)	General Boy (Income Tax Payer)	SC/ST/ OBC/SBC Boys	All Girls	PH Boys	PH Girls
1	Admission Fee	2	2	2	0	0	0
	Tuition Fee	42	144	0	0	0	0
	Lab Fee (only For Practical Subjects)	100	100	100	0	0	0
2	Computer Education	0	0	0	0	0	0
3	**Mahavidyalay Vikas Samiti Fee (Total)**	**700**	**700**	**700**	**700**	**0**	**0**
4	Caution Money	0	0	0	0	0	0
5	**Library Fee**	**150**	**150**	**150**	**150**	**0**	**0**
6	**Student Activities**	**135**	**135**	**135**	**135**	**0**	**0**
7	**General Purpose Fee**	**345**	**345**	**345**	**345**	**0**	**0**
8	**Games Fee**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**
9	**Student Union**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**
11	**Women Cell**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**
12	Misc.	60	60	60	60	0	0
13	Insurance Fee	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	TOTAL						
	B.Com	**1634**	**1736**	**1592**	**1690**	**0**	**0**
	B.Sc	**1734**	**1836**	**1692**	**1690**	**0**	**0**
	B.A (Geography)	**1734**	**1836**	**1692**	**1690**	**0**	**0**
	B.A (Non Geography)	**1634**	**1736**	**1592**	**1690**	**0**	**0**

(स) : स्नात्तकोत्तर भूगोल पूर्वार्द्धः

S.No.	Fee Type	General Boys(Non Income Tax Payer)	General Boy (Income Tax Payer)	SC/ST/ OBC/SBC Boys	All Girls	PH Boys&Girls
1	Admission Fees	2	2	2	0	0
	Tuition Fee (Income Tax Payer)	42	144	0	0	0
	Lab Fees	0	0	0	0	0
2	Computer Education	0	0	0	0	0
3	**Mahavidyalay Vikas Samiti Fee (Total)**	**700**	**700**	**700**	**700**	**0**
4	Caution Money	100	100	100	100	0
5	**Library Fee**	**150**	**150**	**150**	**150**	**0**
6	**Student Activities**	**135**	**135**	**135**	**135**	**0**
7	**General Purpose Fee**	**345**	**345**	**345**	**345**	**0**
8	**Games Fee**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9	**Student Union**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
11	**Women Cell**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**
12	**Misc.**	60	60	60	60	0
13	**Insurance Fee**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Lab Development Fees**	100	100	100	100	0
	TOTAL					
	MA Geography	**1834**	**1936**	**1792**	**1790**	**0**

सह–शैक्षणिक गतिविधियाँ :

(अ) खेलकूद

विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय में प्रतिवर्ष खेलकूद गतिविधियों का आयोजन प्राचार्य के मार्गदर्शन में शारीरिक शिक्षा अनुदेशक द्वारा किया जाता है। प्रतिवर्ष अन्तर कक्षा प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। विजेता विद्यार्थियों को वार्षिक उत्सव में पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया जाता है।

(ब) रोवर / रेंजर

महाविद्यालय में रोवर (पुरूष स्काउट) एवं रेंजर (महिला स्काउट) गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जिससे विद्यार्थी ''मैं'' के भाव से निकलकर ''हम'' के विस्तार की ओर बढ़े एवं नैतिक मूल्यों से पोषित हो चरित्र को सुदृढ़ बनायें।

(स) राष्ट्रीय सेवा योजना {एन.एस.एस.}

गाँधी शताब्दी वर्ष में एन.एस.एस. का शुभारम्भ राष्ट्रीयता से ओत प्रोत युवाओं में अटूट विश्वास का प्रतिक है। अपने शैशव से यौवन की यात्रा में एन.एस.एस. ने शैक्षिक परिसरों को समाज से जोड़ने का कार्य किया है तथा सार्वजनिक हित की अनेक योजनाएँ क्रियान्वित की हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमुख उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी शिक्षण के साथ–साथ समाज सेवा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास करें और राष्ट्रभक्त एवं योग्य नागरिक बनें।

कार्यक्रम को अभिनव बनाने एवं विद्यार्थियों में जागरूकता लाने के लिये राष्ट्रीय एकता, एड्स के प्रति जागरूकता, बस्ती गोद लेने की अनिवार्यता, साक्षरता, पर्यावरण संरक्षण, महिला विकास एवं उत्थान तथा बंजर भूमि विकास, राष्ट्र / प्रदेश के द्वारा संचालित विकास कार्यक्रमों की जानकारी देने आदि कार्यक्रमों को एकीकृत रूप में एन.एस.एस. के साथ जोड़ा गया है। एन.एस.एस. के साथ जुड़कर विद्यार्थी ऐसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जागरूक हो सकते है तथा इस प्रकार समाज में एक अनुक्रियाशील नागरिक बन सकते हैं।

एन.एस.एस. में विद्यार्थियों को नियमित गतिविधियों के अर्न्तगत दो वर्ष में 240 घंटे अपनी रूचि के क्षेत्र में कार्य करना होता है। विभिन्न विषयों पर वादविवाद, आशुभाषण, क्विज, जागरूकता आदि कार्यक्रम महाविद्यालय / बस्ती में आयोजित किये जाते हैं तथा 7 दिवसीय विशेष शिविर में भाग लेना होता है। उत्कृष्ट कोटि का कार्य करने वाले प्रत्येक स्वयं सेवक को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाता है।

महाविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा एन.एस.एस. की एक इकाई स्वीकृत हैं, एन.एस.एस. गतिविधियों में भाग लेने के लिए कोई पंजीकरण शुल्क देय नहीं है।

(द) महिला प्रकोष्ठ

महिला प्रकोष्ठ में प्रत्येक छात्रा की सदस्यता अनिवार्य है। इसके माध्यम से छात्राओं के लिए विभिन्न प्रकार की सह शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जाता है एवं समस्याओं के समाधान सम्बन्धी सार्थक सुझाव देने हेतु छात्राओं को आमंत्रित किया जाता है।

(य) युवा विकास केन्द्र

युवाओं को वैचारिक गतिविधियों से जोड़ने एवं राष्ट्र के विकास में व्यापक भागीदारी निभाने हेतु महाविद्यालय में युवा विकास केन्द्र का संचालन किया जाता है। युवा पीढ़ी के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें अध्ययन के साथ–साथ व्यक्तित्व एवं भविष्य निर्माण के विभिन्न प्रतिमान, अवसरों की जानकारी तथा उनके अनुसार स्वयं को तैयार करने हेतु विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को आमंत्रित कर विद्यार्थियों का ज्ञानवर्धन किया जाता है।

(र) छात्रसंघ

लिंगदोह समिति की सिफारिशों एवं आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा से प्राप्त निर्देशों के अनुसार प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की भांति इस महाविद्यालय में भी प्रत्यक्ष मतदान द्वारा छात्रसंघ का गठन किया जायेगा। छात्रसंघ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव एवं संयुक्त सचिव एवं कक्षा प्रतिनिधियों का निर्वाचन प्रव्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। छात्रसंघ के पदाधिकारियों को महाविद्यालय प्रशासन के साथ समन्वय रखते हुए शैक्षणिक, सहशैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियों के संचालन/आयोजन में सत्र पर्यन्त सहयोग करना होता है। महाविद्यालय में अनुशासन कायम रखने एवं महाविद्यालय की गरिमा बनाये रखने के प्रति भी छात्रसंघ की जागरूकता आवश्यक होगी।

शिष्टाचार सम्बन्धी नियम

- विद्यार्थी अपना परिचय–पत्र सदैव अपने साथ रखें। परिचय पत्र के अभाव में महाविद्यालय परिसर में प्रवेश नही दिया जायेगा।
- महाविद्यालय परिसर में श्रेष्ठ आचरण एवं शिष्ट व्यवहार नितान्त आवश्यक है।
- महाविद्यालय परिसर में पूर्ण अनुशासन बनाये रखें। अनुशासनहीनता के दोषी छात्र को दण्डित एवं महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।
- कक्षाओं के भीतर व बाहर शांति बनाए रखनी होगी।
- महाविद्यालय सम्पत्ति का उचित संरक्षण एवं संवर्धन करें तथा उन्हें हानि न पहुँचायें।
- अपने खाली समय का उपयोग पुस्तकालय एवं वाचनालय में करें।
- छात्र अपने शिक्षकों के प्रति सदैव शालीन रहें। प्रत्येक परिसंवाद और विचार विमर्श में विनम्रता, सम्मान और सद्व्यवहार अनिवार्य है।
- महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में केवल महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी ही भाग ले सकते हैं।
- किसी भी सभा का आयोजन करने या बाहर से किसी भी व्यक्ति को आमन्त्रित करने के लिए प्राचार्य की पूर्वानुमति आवश्यक है।
- महाविद्यालय में किसी भी संस्था या क्लब के निर्माण हेतु प्राचार्य की पूर्वानुमति आवश्यक हैं।
- पूर्व छात्र { Ex - Student } प्राचार्य की अनुमति प्राप्त कर ही कक्षा में बैठें।
- महाविद्यालय परिसर धूम्रपान व तम्बाकू निषिद्ध क्षेत्र है। लिप्त पाये गये विद्यार्थियों को नियमानुसार दण्डित किया जायेगा।
- कक्ष में बाहर के व्यक्ति का प्रवेश प्राचार्य की अनुमति के बिना पूर्णतः निषिद्ध है। उल्लघंन करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

उपस्थिति नियम

- माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सभी विषयों में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होने पर सम्बन्धित विद्यार्थी को नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेगा।
- राष्ट्रीय सेवा योजना अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेल प्रतियोगिता आदि में भाग लेने वाले दिवसों की उपस्थिति दी जायेगी।
- यदि कोई विद्यार्थी विषय परिवर्तन करता है तो पूर्व विषय की उपस्थिति नये विषय की उपस्थिति में नहीं जोड़ी जायेगी। यदि कोई छात्र इस महाविद्यालय में सत्र के मध्य में किसी अन्य महाविद्यालय से स्थानान्तरित होकर आते है, तो स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र में पूर्व महाविद्यालय द्वारा अंकित उपस्थिति कुल उपस्थिति में जोड़ दी जायेगी।
- राजस्थान विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उपस्थिति नियम ही मान्य होंगे।

पुस्तकालय सम्बन्धी नियम

महाविद्यालय में स्थापित पुस्तकालय में 3289 पुस्तकें उपलब्ध हैं। विद्यार्थियों को पुस्तकालय सम्बन्धी निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखना चाहिए –

- पुस्तकालय/वाचनालय खुलने का समय प्रातः 10.00 से सायं 4.00 बजे तक हैं।
- पुस्तकालय में प्रवेश करते समय अपना निजी सामान बाहर काउण्टर पर रखें।
- प्रत्येक छात्र को दो पाठक टिकट दिये जायेंगे इसके लिये उन्हें काउण्टर पर अपना परिचय पत्र दिखाना होगा। पाठक टिकट हस्तान्तरणीय नहीं हैं।
- पुस्तकालय से छात्रों को पुस्तकें उनके पाठक टिकट पर 15 दिन के लिये निर्गमित की जाती है। निर्धारित तिथि तक पुस्तक नहीं लौटाने पर प्रत्येक पुस्तक पर 1 रू. प्रतिदिन विलम्ब शुल्क वसूल किया जायेगा।
- पुस्तकों पर अपना नाम लिखने, किसी तरह का चिन्ह बनाने, पृष्ठ अलग करने एवं पुस्तकों को अन्य किसी प्रकार से नुकसान पहुँचाने पर पुस्तक के मूल्य की दुगुनी राशि वसूल की जायेगी।
- सत्र की समाप्ति पर छात्रों को अपने पाठक टिकट एवं पुस्तकें जमा करानी होगी।
- संदर्भ ग्रंथ और पत्रिकायें घर ले जाने के लिय निर्गमित नहीं की जावेंगी।
- पत्रिकायें वाचनालय में उपलब्ध रहती हैं। इन्हें पढ़ने के लिए छात्र का अपना परिचय–पत्र पुस्तकालय में उपस्थित कर्मचारी को देना होगा। पत्रिकाओं में से पृष्ठ अलग करने या उनके चित्र खराब करने की स्थिति में दोषी छात्र से पत्रिका का दुगुना मूल्य वसूल किया जावेगा।
- यदि कोई छात्र पुस्तकालय से पुस्तक चोरी करता हुआ पाया गया तो उसे विश्वविद्यालय नियमावली के नियम 88 के अन्तर्गत दण्डित किया जायेगा।
- पुस्तक प्राप्त करने से पूर्व पुस्तक को भली भाँति देख लेना चाहिये। यदि पुस्तक के पृष्ठ फटे हुए हों या पृष्ठ कम हों तो सम्बन्धित अधिकारी को दिखाकर उनके सील लगवाले या हस्ताक्षर करा लेवें अन्यथा लौटाते समय पुस्तक के अपूर्ण पाये जाने पर छात्र स्वयं जिम्मेदार होगें।
- पाठक टिकट अथवा उन पर प्राप्त की गई पुस्तक के खो जाने पर तुरन्त लिखित सूचना पुस्तकालयाध्यक्ष को देनी चाहिये।
- पुस्तकालय के द्वारपाल को निर्गमित पुस्तकें देखने का पूर्ण अधिकार होगा।
- पुस्तकालय कर्मचारियों को पुस्तकालय में छात्रों की तलाशी लेने का अधिकार होगा।

प्राचार्य

शैक्षणिक अधिकारी

प्राचार्य – डॉ. अल्पना व्यास

कला संकाय

1. हिन्दी

डॉ. श्रीराम बडकोदिया, आचार्य

2. अंग्रेजी

डॉ. अंशु शर्मा, आचार्य

3. अर्थशास्त्र

डॉ. स्निग्धा शर्मा, आचार्य

डॉ. सुनिता पालावत, व्याख्याता (RVRES) (कार्यव्यवस्थार्थ)

4. भूगोल

डॉ. ममता चौधरी, सह आचार्य

5. इतिहास

डॉ. शशि देपाल, आचार्य

डॉ. अनिता सुराणा, व्याख्याता (RVRES) (कार्यव्यवस्थार्थ)

6. समाजशास्त्र

श्रीमती इन्दु आर्य, सह आचार्य

7. राजनीति शास्त्र

डॉ. अल्पना पारीक, आचार्य

डॉ. रश्मि वशिष्ठ, आचार्य, (कार्यव्यवस्थार्थ)

डॉ. सुशीला मीणा, आचार्य, मूक–बधिर विद्यार्थियों के अध्यापन हेतु

डॉ. राजकुमार बैरवा, सहायक आचार्य, (कार्यव्यवस्थार्थ)

8. संस्कृत

रिक्त पद

वाणिज्य संकाय

1. लेखाशास्त्र एवं व्यावसायिक सांख्यिकी

डॉ. सुरेश कुमार राजोरा, सहायक आचार्य

डॉ. रामधन सैनी, व्याख्याता (RVRES)(कार्यव्यवस्थार्थ)

2. व्यावसायिक प्रशासन

डॉ. निमिष गुप्ता, सहायक आचार्य

डॉ. अर्चना सिंह व्याख्याता (RVRES)(कार्यव्यवस्थार्थ)

3. आर्थिक प्रशासन एवं वित्तिय प्रबन्ध

डॉ. कविता भारती, सहायक आचार्य

विज्ञान संकाय

1. प्राणिशास्त्र

डॉ. उषा शर्मा, आचार्य

डॉ. निशा जैन, आचार्य (कार्यव्यवस्थार्थ)

डॉ. आशा शर्मा, व्याख्याता (RVRES)(कार्यव्यवस्थार्थ)

2. वनस्पतिशास्त्र

श्रीमती अनिता यादव, सहायक आचार्य

डॉ. स्वाति शर्मा, आचार्य, (स्थगन आदेश पर)

3. **भौतिकशास्त्र**

डॉ. प्रकाश चन्द सिंघाड़िया, सहायक आचार्य

4. रसायनशास्त्र

डॉ. रूचि महनोत, सह आचार्य

डॉ. स्वाति शर्मा व्याख्याता (RVRES)(कार्यव्यवस्थार्थ)

5.गणित

डॉ. सुरेन्द्र भारद्वाज, आचार्य

शारीरिक शिक्षा अनुदेशक

डॉ. जगदीश सैनी, (RVRES)(कार्यव्यवस्थार्थ)

पुस्तकालय अध्यक्ष

श्री गिरधारी लाल रैगर

अशैक्षणिक कर्मचारी

श्रीमती मंजू शर्मा	–	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी
श्री विजय सैनी	–	निजी सहायक द्वितीय
श्री ओमप्रकाश	–	प्रयोगशाला सहायक
श्री राजेन्द्र प्रकाश शर्मा	–	प्रयोगशाला सहायक (प्रतिनियुक्त आयुक्तालय)
श्री अभिषेक शर्मा	–	प्रयोगशाला सहायक
श्रीमती हिना पिपलानी	–	प्रयोगशाला सहायक (प्रतिनियुक्त आयुक्तालय)
श्रीमती ऋचा शर्मा	–	प्रयोगशाला सहायक
श्री कुलदीप सिंह नाथावत	–	वरिष्ठ सहायक
श्री नेकी राम मावलिया	–	वरिष्ठ सहायक
श्री मोहित भारतीय	–	गैसमेन
श्री भवानी सिंह राजावत	–	बुक लिफ्टर
श्री रमेश चन्द्र शर्मा	–	सहायक कर्मचारी
श्रीमती रतना कंवर	–	सहायक कर्मचारी (प्रतिनियुक्ति राजकीय महाविद्यालय, किशनपोल)
श्री सुमेर सिंह बंशीवाल	–	प्रयोगशाला वाहक (प्रतिनियुक्ति कनक भवन)
श्री रमेश चन्द सिसोदिया	–	सेवानिवृत्त पुर्ननियुक्ति निजी सचिव
श्री घासी लाल रैगर	–	सेवानिवृत्त पुर्ननियुक्ति सहायक लेखाधिकारी द्वितीय
श्री हरिनारायण यादव	–	सेवानिवृत्त पुर्ननियुक्ति अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी

प्रवेश समिति

नोडल अधिकारी (स्नात्तकोत्तर)	–	डॉ. ममता चौधरी
नोडल अधिकारी (स्नात्तक)	–	डॉ. रामधन सैनी
वेब नोडल प्रभारी	–	डॉ. सुरेन्द्र भारद्वाज

विज्ञान संकाय :

बी.एससी. पार्ट प्रथम (गणित)	प्रभारी	–	डॉ. निशा जैन
	सदस्य	–	डॉ. प्रकाश चन्द सिंघाड़िया
	सदस्य	–	श्रीमती अनिता यादव
बी.एससी. पार्ट प्रथम (जीव विज्ञान)	प्रभारी	–	डॉ. उषा शर्मा
	सदस्य	–	डॉ. स्वाति शर्मा (वनस्पतिशास्त्र)
बी.एससी. पार्ट द्वितीय (गणित एवं जीव विज्ञान)	प्रभारी	–	डॉ. रूचि महनोत
बी.एससी. पार्ट तृतीय (गणित एवं जीव विज्ञान)	प्रभारी	–	डॉ. आशा शर्मा

वाणिज्य संकाय :

बी.कॉम. पार्ट प्रथम	प्रभारी	–	डॉ. निमिष गुप्ता
बी.कॉम. पार्ट द्वितीय	प्रभारी	–	डॉ. सुरेश कुमार राजोरा
बी.कॉम. पार्ट तृतीय	प्रभारी	–	डॉ. अर्चना सिंह

कला संकाय :

बी.ए. पार्ट प्रथम	प्रभारी	–	डॉ. अल्पना पारीक
	सदस्य	–	डॉ. रश्मि वशिष्ठ
	सदस्य	–	डॉ. अनिता सुराणा
	सदस्य	–	डॉ. सुनीता पालावत
बी.ए. पार्ट द्वितीय	प्रभारी	–	डॉ. ममता चौधरी
बी.ए. पार्ट तृतीय	प्रभारी	–	डॉ. श्रीराम बड़कोदिया

मूक बधिर एवं दृष्टि बाधित वर्ग :

बी.ए. पार्ट तृतीय	प्रभारी	–	डॉ. कमल तिवाडी

स्नात्तकोत्तर पूर्वार्द्ध भूगोल

पूर्वार्द्ध भूगोल	प्रभारी	–	डॉ. अंशु शर्मा
	सदस्य	–	डॉ. स्वाति शर्मा (रसायनशास्त्र)

रैगिंग से सावधान

माननीय उच्चतम न्यायालय ने किसी विद्यार्थी की रैगिंग लेने, चिढ़ाने या तंग करने को संज्ञेय अपराध घोषित किया है। कहे, लिखे गये शब्दों या कृत्यों के जरिये ऐसा कोई उपद्रवी व्यवहार जिसमें दूसरों को सताने का भाव निहित हो, दूसरे विद्यार्थियों के साथ रूखाई से पेश आना, उपद्रवी या अनुशासनहीन कार्यवाहियों में लिप्त होना, जिसके चलते नवागन्तुक या किसी कनिष्ठ विद्यार्थी के मन में गुस्सा, भय व्याप्त हो या उसे मानसिक रूप से क्षति पहुंचे इसके अलावा कनिष्ठ विद्यार्थी से ऐसा कोई कार्य करने के लिए कहना जो सामान्य परिस्थिति में नहीं किया जा सके, रैगिंग या तंग करने की श्रेणी में आता है।

किसी भी विद्यार्थी के रैगिंग की गतिविधियों में लिप्त पाये जाने पर उसके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। उसका प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा अथवा उसे महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा। अतः आवश्यक है कि वरिष्ठ विद्यार्थी अपने नव प्रवेशित विद्यार्थी साथी से सद्व्यवहार करें और महाविद्यालय वातावरण से परिचित कराने में सहयोग देवें तथा रैगिंग का विरोध कर विद्यार्थी को जागरूक करें।

महिला गरिमा हेल्प लाइन

1090—1095